

जनजाति सलाहकार परिषद गठन के निर्देश

देहरादून (एसएनबी)। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अयोग के अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव ने कहा कि उत्तराखंड में जनजाति का विकास अवरुद्ध है। उन्होंने कहा कि जनजाति के लोगों पर सबसे अधिक अत्याचार उधमसिंहनगर जिले में हो रहे हैं। जनजाति के लिए प्रदेश में मात्र 50 से 52 प्रतिशत बजट ही खर्च हो पा रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार को जल्द जनजाति सलाहकार परिषद के गठन के लिए कहा गया है।

विगत पांच जून से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अयोग प्रदेश में जनजाति समुदाय की स्थिति का जायजा लेने के लिए भ्रमण पर आया हुआ है। आयोग ने विभिन्न स्थानों में जनजाति समुदाय के बीच जाकर उनकी स्थिति का जायजा लिया व सरकार द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की। सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री ओरांव ने कहा कि उत्तराखंड में जनजाति की स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश में वन अधिकार कानून का पालन नहीं हो रहा है। उन्हें भूमिपरी का अधिकार तक नहीं दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भी जनजाति के युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा, विगत लंबे समय से बैंक लाग बना हुआ है। आयोग ने बैंक लाग

को पूरा करने के लिए भर्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल डेवलपमेंट के लिए योजनाओं की कमी पायी गई। चार करोड़ का बजट होने के बाद भी मात्र 40 हजार रुपये ही खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि जनजाति के लिए योजनाओं में भी बजट खर्च में कमी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारी कमी है। स्कूल हैं लेकिन शिक्षक

रही हैं और सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न किया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आयोग दिल्ली जाकर इसका संज्ञान लेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान आयोग के सदस्य के.कमला कुमारी व वीएल मीणा सहित सचिव समाज कल्याण सुबर्द्धन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

- ▶ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अयोग के अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव की पत्रकार वार्ता
- ▶ कहा, उत्तराखंड में जनजाति की स्थिति बदतर, उधमसिंहनगर में सबसे अधिक अत्याचार

नहीं, अस्पताल है लेकिन वहां डाक्टर नहीं हैं। इसके लिए सरकार को स्थानांतरण नीति को ठीक प्रकार से लागू करने को कहा गया है। यही स्थिति उच्च शिक्षा की भी है। लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजाति की सबसे बुरी स्थिति उधमसिंहनगर जिले में है। थारू, बोक्सा आदि जनजाति के लोगों की जमीनें लगातार छिनती जा

आयोग की सस्तुतियों को गंभीरता से नहीं ले रही सरकारें : ओरांव

देहरादून। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अयोग के अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव ने स्वीकार किया कि आयोग की संस्तुतियों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। इस संबंध में केंद्र का रुख भी ठीक नहीं है। अनौपचारिक वार्ता में उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्र ने वर्ष 2004 से आयोग की संस्तुतियों को संसद में नहीं रखा है। ऐसे में कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी है। आयोग पूरी ईमानदारी के अपना कार्य कर रहा है। अब समय आ गया है कि सरकारों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।

जनजातीय क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं के विकास पर जोर दे सरकार

देहरादून (एसएनबी)। देहरादून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अयोग के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर ओरांव ने राज्य के जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित की जाने वाली समितियों को सक्रिय किए जाने पर भी बल दिया। जनजाति के लोगों की भूमि की सुरक्षा, शीतकाल के पड़ावों पर उनका अधिकार व जाति प्रमाण पत्र में आ रही कठिनाई को दूर करने की उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की।

सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव सहित विभागाध्यक्षों के साथ राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था व जनजाति क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी ली। इन क्षेत्रों की समस्याओं से सम्बन्धित समीक्षा बैठक को अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल व विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण पर उन्होंने पाया कि स्कूलों में शिक्षकों, अस्पतालों में डॉक्टरों की काफी कमी है।

विशेष रूप से आठवीं के बाद इंटर तक की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता इन क्षेत्रों में है। उन्होंने कहा कि छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए देहरादून में छात्रावास बनाने की भी क्षेत्रवासियों द्वारा मांग रखी गयी है। इसके लिए राज्य सरकार यदि भूमि उपलब्ध करा दे तो भवन निर्माण आदि के लिए भारत सरकार से वित्त पोषण के लिए अनुरोध किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि इन क्षेत्रों में लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो, ऐसे कार्यक्रमों का संचालन हो कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काफी कुछ किया गया है, फिर भी अभी बहुत कुछ

किया जाना बाकी है। उन्होंने इन क्षेत्रों के उत्पादों के विपणन की कारण व्यवस्था पर भी बल दिया। इन क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ाने, बेरोजगारी व सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के साथ ही स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी।

- ▶ एसटी समुदाय की भूमि की सुरक्षा, शीतकालीन पड़ावों पर उनके हक व जाति प्रमाण पत्र की दिक्कतें दूर हों
- ▶ वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित की जाने वाली समितियों को सक्रिय किए जाने पर भी बल
- ▶ राष्ट्रीय अनु. जनजाति आयोग की टीम ने मुख्य सचिव समेत तमाम अफसरों के साथ की बैठक

इस अवसर पर मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने कहा कि आयोग के सुझावों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। विकास का लाभ सभी को समान रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर समाज कल्याण सचिव सुबर्द्धन ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पांच अनुसूचित जनजातियां भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा एवं राजी जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से बोक्सा, राजी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भोटिया जनजाति पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी जनपद में निवास करती हैं।

जौनसारी देहरादून में, थारू उधमसिंह नगर में, बोक्सा उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी तथा देहरादून जनपद में जबकि राजी जनजाति पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में निवास करती है। इन जनपदों में भी इनका निवास कुछ विकासखंडों तक ही सीमित है। उत्तराखंड राज्य में सामान्यतः सामाजिक सद्भाव का वातावरण है, इसलिए अनुसूचित जनजाति उत्पादन की घटनाएं अत्यंत कम घटित होती हैं। सरकारी पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। बैठक में राष्ट्रीय जनजाति अयोग के सदस्य वीएल मीणा, के. कमला कुमारी, आयोग के संयुक्त सचिव आदित्य मिश्रा, पुलिस महानिदेशक विजय राघव पंत सहित सभी सचिव एवं अपर सचिव आदि उपस्थित थे।

नहीं सुधरे जनजाति के लोगों के हालात : आरव

दैनिक जागरण दिनांक 12-06-2012

♦ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
आयोग के अध्यक्ष की पत्रकार
वार्ता

जागरण ब्यूरो, देहरादून: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर आरव ने कहा कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि उत्तराखंड में जनजाति के रहन-सहन में बेहतरी नहीं आ सकी है। उन्होंने राज्य में जनजाति के जमीनों पर हो रहे कब्जों पर चिंता जताते हुए कहा कि इस मामले को वे केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे।

श्री आरव राज्य के छह दिवसीय भ्रमण के बाद सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग पांच जून से राज्य के भ्रमण पर था। उन्होंने पाया कि जनजाति और गैरजनजाति के बीच का अंतर अभी काफी गहरा है। शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है। स्कूल हैं, तो शिक्षक नहीं हैं। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, जिससे जनजाति बहुल स्कूलों में शिक्षकों

की कमी न हो। स्वास्थ्य की स्थिति भी कतई बेहतर नहीं है। जनजाति समुदाय को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। उच्च क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के लोग सर्दियों में प्रवास करते हैं, उनके परंपरागत प्रवास स्थलों पर अब अतिक्रमण होने लगा है। सरकारी नौकरियां कम हैं, इसके बावजूद जो आरक्षित पद हैं, वहां भी बहुत बड़ा बैकलाग है। अभियान चलाकर उसे भरने की जरूरत है। ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) में सिर्फ 50 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पा रही है। लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित हैं। उच्च शिक्षा के लिए जब वे देहरादून जैसे शहरों में आते हैं तो उनके रहने के लिए हास्टल तक नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात में हुए काम का अनुसरण यहां भी करने की जरूरत उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि ऊधमसिंह नगर में जनजाति की जमीनों को छीनने की शिकायतें वर्षों से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्याचार का मामला है। पत्रकार वार्ता के दौरान आयोग के सदस्य बीएल मीणा व के. कमला कुमारी, आयोग के संयुक्त सचिव अदित्य मिश्रा मौजूद थे।